न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 69/2023

जीसीएमएस नम्बर : 2023/203

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री शंकरलाल जाति वैष्णव निवासी खौड़ हाल निवासी वीर दुर्गादास नगर पाली		1. श्रवणदास पुत्र नारायणदास जाति वैष्णव निवासी सत्यनारायण मन्दिर के पास खौड़ तहसील रानी जिला पाली 2. ग्राम पंचायत खौड़ जरिये सरपंच

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नन्द किशोर बंसल।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30/03/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत खौड़ द्वारा मिसल संख्या 11/04–05, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 04.12.2009 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 217 दिनांक 17.12.2009 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम खौड़ में प्रार्थी के पूर्वजों का नोहरा आया हुआ है, जिसका पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 36 दिनांक 13.12.1964 के जरिये पट्टा संख्या 172 दिनांक 31.12.1964 को जारी किया गया। उक्त भूमि के उत्तर दिशा में खालसा भूमि नाप 54 फीट बाई 89 फीट आई हुई है, जिसका पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वज मगराज, नारायणदास, उदयराम, जेपाराम वल्द हरीदास के पक्ष में मिसल संख्या 13/21.08.1959 के जरिये पट्टा संख्या 29 जारी किया गया है। उक्त पट्टा अस्तित्व में रहते हुये भी अप्रार्थी संख्या 1 ने जैर निगरानी आराजी का पुनः पट्टा ग्राम पंचायत से जारी करवा दिया।

अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पूर्व से पश्चिम भूजा का नाप 97 फीट बताते हुये दिनांक 15.06.2004 को आवेदन पेश किया, जिसके आधार पर उक्त पट्टा जारी किया गया। उक्त आवेदन में अप्रार्थी ने अपने मकान का पूर्व में पट्टा जारी नहीं होने का गलत कथन किया। उक्त आवेदन में काटंछाट करते हुये 80 फीट की जगह 108 फीट का पट्टा जारी किया गया। नक्शे पर सचिव के हस्ताक्षर नहीं है तथा मौका निरीक्षण हेतु नामित तीन पंचों का उल्लेख नहीं है। उक्त पट्टा जारी करने

अति. जिला कलेक्टर पाली

से पूर्व निर्णय में दर्ज राशि न तो ग्राम पंचायत में जमा हुई और न ही राशि जमा करने का कोई उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25.09.2004 को भूमि का पट्टा जारी करने के आदेश जारी किये गये परन्तु अप्रार्थी द्वारा निर्णय की पालना में कोई राशि जमा नहीं करवाई गई और पुनः दिनांक 04.09.2009 को आवेदन पत्र पेश कर पट्टा बनाने का निवेदन किया तथा इस आधार पर पुनः मिसल दर्ज कर ग्राम पंचायत ने दो पंचों को नियुक्त कर मौका निरीक्षण के आदेश जारी किये। अप्रार्थी ने प्रश्नगत पट्टे की आड़ में प्रार्थी की पट्टे सुदा भूमि पर कब्जा कर लिया। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों का दूषित करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत खौड़ द्वारा अप्रार्थी के पूर्वज मगराज, नारायणदास, उदयराम, जेपाराम वल्द हरीदास के पक्ष में मिसल संख्या 13/21.08.1959 के जरिये 54 फीट बाई 89 फीट नाप पट्टा संख्या 29 जारी किया गया, जो कि वर्तमान में अस्तित्व में है। जैर निगरानी पट्टा उक्त पट्टे सुदा भूमि से अलग भूमि का जारी किया गया है। अप्रार्थी ने प्रश्नगत पट्टे हेतु नियमानुसार ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पेश किया, जिस पर प्रश्नगत भूमि का नक्शा बनाया गया एवं नियुक्त तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया उसके पश्चात् एक माह का आपत्ति नोटिस जारी कर पंचायतीराज नियमों में वर्णित प्रावधानों की पूर्णतः पालना करते हुये विधिसम्मत तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी द्वारा पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश का नोटिस तामिल नहीं होने से उसे पूर्व के आवेदन पर पारित निर्णय की जानकारी नहीं हो सकी इसलिये अप्रार्थी द्वारा अपने भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु वर्ष 2009 को पुनः ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पेश किया, जिसे पर ग्राम पंचायत ने नये सिरे से सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुये अप्रार्थी के कब्जे एवं हिस्से अनुसार जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो पूर्णतः उचित है। अप्रार्थी को परेशान की नियत से जैर निगरानी याचिका पेश की है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी का मकान बना हुआ है, जिस पर वह काबिज है। जैर निगरानी याचिका लगभग 14 वर्ष पश्चात् पेश की गई है, जो कि पूर्णतया म्याद बाहर है। ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी के कब्जे और पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने बिना विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत खौड़ द्वारा मिसल संख्या 11/04–05, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 04.12.2009 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 217 दिनांक 17.12.2009 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह है कि अधिवक्ता प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका लगभग 14 वर्ष बाद पश्चात् पेश की है, जो कि म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी को जानकारी होने पर अन्दर म्याद उक्त निगरानी याचिका पेश की, इसके अतिरिक्त जब ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

गया हो, तो वहां पर समयसीमा बाध्यकारी नहीं होती है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court Chimna lal vs State of Rajasthan and others के अनुसार When no period of limitation is provided then in our opinion the same has to be exercised within a reasonable time and that will depend upon facts and circumstances of each case like ; (i) when there is fraud played by the parties; (ii) the orders are obtained by mis-representation or collusion with public officers by the private parties; (iii) Orders are against the public interest; (iv) the orders are passed by the authorities who have no jurisdiction; (v) the order are passed in clear violation of rules or the provisions of the Act by the authorities; and (vi) void orders or the orders are void ab initio being against the public policy or otherwise. The common law doctrine of public policy can be enforced wherever an action affects/offends the public interest or where harmful result of permitting the injury to the public at large is evident. In such type of cases, revisional powers can be exercised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brouth to their notice. इसी प्रकार 2018(2)DNJ (Raj.) 497 Usha Jugtawat vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector (Land Conversion) Jodhpur & Ors. में यह यह उल्लेख किया गया कि No limitation for exercising the reisional jurisdiction if pattas were issued in illegal manner and committing fraud. साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) DNJ 443 Looni Devi & 10 Ors. vs State of Rajasthan & Ors. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Allotment obtained by playing fraud is void and no limitation for setting aside of such void allotment." राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय का उल्लेख नहीं है। हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार जब किसी अधिनियम में कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, तो वह प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तथा वर्णित 6 प्रकार की कार्रवाई को अवैध मांना एवं इस प्रकार के मामलों में, प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है या जब भी ऐसे आदेश उनके ध्यान में लाए जाते है। साथ ही में विद्वान वकील के इस तर्क पर आते हुए कि लगभग 14 वर्ष के अस्पष्ट विलम्ब के बाद जारी किए गए जैर निगरानी पट्टे को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, यह कहना पर्याप्त है कि किसी वैध अधिकार के बिना प्राप्त जैर निगरानी पट्टे को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रास्ते में कोई सीमा नहीं आनी चाहिए। इसलिये प्रकरण में म्याद कण्डोन करते हुये निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टा पूर्व में जारी पट्टेसुदा भूमि पर जारी किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि पूर्व में जारी पट्टा तथा वर्तमान पट्टे की भूमि पृथक पृथक है। इस तथ्य की पुष्टि हेतु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह पाते है कि ग्राम पंचायत खौड़ द्वारा अप्रार्थी के पूर्वज मगराज,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर पाली

नारायणदास, उदयराम, जेपाराम वल्द हरीदास के पक्ष में मिसल संख्या 13/21.08.1959 के जरिये 54 फीट बाई 89 फीट नाप पट्टा संख्या 29 जारी किया गया, जिसके पड़ौस उत्तर दिशा में आम रास्ता खालसा भूमि, दक्षिण दिशा में सोहनदास पुत्र हिम्मताराम वैष्णव के मकान, पूर्व दिशा में आम रास्ता नाडोल पाली आने जाने का तथा पश्चिम दिशा में आम रास्ता व दरवाजा अंकित है। इसी प्रकार जैर निगरानी पट्टे के पड़ौस उत्तर दिशा में गुजारे की गली, दक्षिण दिशा में मुकेश पुत्र उदयराम, पूर्व दिशा में शंकरलालजी माली तथा पश्चिम दिशा में आम रास्ता अंकित है जबकि उक्त पट्टे के सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में पूर्व दिशा में शंकरलालजी की बगेची भूमि तथा पश्चिम दिशा में आम रास्ता व मकान का दरवाजा अंकित है अर्थात् पूर्व दिशा में बगेची स्थित है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के पूर्वज़ सोहनदास, शंकरलाल, अमृतलाल बेटा पोता हिम्मताराम के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 36 दिनांक 13.12.1964 के जरिये पट्टा संख्या 172 दिनांक 31.12.1964 को जारी किया गया, जिसके पड़ौस उत्तर दिशा में मगाराम वगैरा का मकान की पड़त भूमि, दक्षिण दिशा में चेला का बाड़ा भूमि, पूर्व तथा पश्चिम दिशा में आम रास्ता अंकित है। साथ ही उदयराम के पुत्र मुकेश कुमार के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 05/2002, प्रस्ताव संख्या 13 दिनांक 20.09.2002 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 4291 दिनांक 20.09.2002 जारी किया, जिसके पड़ौस उत्तर दिशा में आम रास्ता गली, दक्षिण दिशा में भंवरदास पुत्र उदयराम के खड़े मकान, पूर्व दिशा में बगेची भूमि तथा पश्चिम दिशा में आम रास्ता व दरवाजा अंकित है। अब यदि पट्टा संख्या 217 एवं पट्टा संख्या 4291 को संयुक्त रूप से देखा जाये तो प्रथमदृष्टया यह प्रकट होता है कि एक बड़े भूखण्ड का अलग अलग पट्टा जारी किया गया है, जिसमें नारायण दास के वारिसान के श्रवणदास के पक्ष में पट्टा संख्या 217 उत्तर दिशा में तथा उसके दक्षिण दिशा में उदयराम के वारिसान मुकेश के पक्ष में पट्टा संख्या 4291 जारी किया गया और उसके भी दक्षिण दिशा में उदयराम के अन्य वारिसान भंवरदास के पक्ष में पट्टा जारी किया गया। इस प्रकार उक्त सभी पट्टों को तुलनात्मक रूप से देखा जाये तो विवरण प्रत्यक्ष रूप से पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं में पड़ौस एक समान है और वर्ष 1959 में जारी पट्टों के पड़ौस में परिवर्तन वर्तमान स्थिति पर भी निर्भर करता है। ए ऐसी स्थिति में उपलब्ध समस्त तथ्यों से प्रथमदृष्टया यह प्रतीत होता है जैर निगरानी पट्टे का भूखण्ड, पूर्व से जारी पट्टे की भूमि से पृथक नहीं बल्कि उसी भूखण्ड के भीतर ही शामिल है अर्थात् ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। यदि किसी भूमि का बाद में कोई दूसरा पट्टा जारी किया जाता है जो पहले पट्टाधारी के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो यह विधि सम्मत नहीं होगा और रद्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान राज्य बनाम लक्ष्मणसिंह (2018) में यह स्पष्ट किया कि एक भूमि पर दो पट्टे जारी करना अधिकारों का दुरूपयोग है। इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त सीताराम बनाम राजस्थान सरकार (2019) में माननीय न्यायालय ने अंकित किया कि भूमि पट्टों में द्वैत अधिकार नहीं बन सकते, यदि ऐसा होता है तो बाद में जारी पट्टे को अवैध माना जाएगा तथा मधु सुकन्या बनाम ग्राम पंचायत (2019) में माननीय न्यायालय ने यह कहा कि पट्टों की स्थिति में प्राथमिक पट्टा वैध माना जाएगा और

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

दूसरा पट्टा रद्द किया जाएगा अर्थात भूमि के पट्टों का दोहरीकरण न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह सार्वजनिक हितों के खिलाफ भी है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की एवं साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2010 (3) DNJ 1147, 2018 (1) DNJ 111, 2010 (2) RLW (RJ) page 968 भी अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करते है। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।"

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 157 के तहत जारी किया गया हैं। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 15.06.2004 को ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा बनाने हेतु जो आवेदन पत्र पेश किया गया, उस पर आवेदनकर्त्ता के हस्ताक्षर ही नहीं है अर्थात् जिस आधार पर आगे की कार्रवाई की गई, स्वयं आवेदनकर्त्ता के हस्ताक्षर से रहित हैं। हस्ताक्षर के अभाव में उक्त आवेदन पत्र की विधिक वैद्यता एवं प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है तथा इसे विधिसम्मत आवेदन नहीं माना जा सकता। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 15.06.2004 के द्वारा नक्शा बनाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में जारी प्रश्नगत भूमि के नक्शे पर सायल के हस्ताक्षर नहीं है। नक्शे पर सम्बन्धित पक्षकार के हस्ताक्षर का अभाव इस तथ्य को संदिग्ध बनाता है कि नक्शा विधिवत रूप से तैयार एवं स्वीकृत किया गया था। हस्ताक्षर के अभाव में यह प्रमाणित नहीं होता कि नक्शे में दर्शित सीमाएँ एवं विवरण विधिनुसार हो। इसके पश्चात् आदेशिका दिनांक 31.07.2004 के द्वारा मनोनीत पंचों को मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया गया, किन्तु किन तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा, उन्हें नामित नहीं किया गया। उक्त मौका रिपोर्ट राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में वर्णित प्रपत्र अनुसार मौका रिपोर्ट तैयार न कर वर्ष 1961 में वर्णित प्रावधानों में निर्धारित प्रपत्र में तैयार की गई। प्रकरण में नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों को स्थल निरीक्षण हेतु नामित किया जाना था, जो नियम 146(3) "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 04.09.2009 को ग्राम पंचायत के समक्ष पुनः आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन के आधार पर मिसल की आदेशिका दिनांक 15.10.2009 के द्वारा प्रश्नगत भूमि का नक्शा तैयार करने तथा मौका निरीक्षण कराने के लिए निर्देशित किया गया तथापि प्रकरण के अभिलेखों के परीक्षण से यह प्रतित होता है कि प्रश्नगत भूमि के दोनों नक्शों के निर्माण की वास्तविक तिथि अभिलेखों में अंकित नहीं है। इस प्रकार, यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि नक्शा किस समय तैयार किया गया। साथ ही दोनों नक्शों पर सम्बन्धित सालय के हस्ताक्षर नहीं है और एक नक्शे पर सचिव की मोहर नहीं है। इस अन्तर के कारण यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि नक्शा किस अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिसम्मत रूप से तैयार किया गया। प्रकरण में पूर्व में आदेशिका दिनांक 31.07.2004 के द्वारा मौका निरीक्षण कराने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु नियमानुसार मनोनीत तीन वार्ड पंचों को नियुक्त नहीं किया गया। इसके पश्चात् आदेशिका दिनांक 15.10.2009 के द्वारा मौका निरीक्षण हेतु केवल दो वार्ड पंचों के नाम लिखकर मौका निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया, जबकि नियमानुसार तीन वार्ड पंचों को नियुक्त करना अनिवार्य था। अभिलेखों में उपलब्ध दो मौका निरीक्षण प्रपत्रों का अवलोकन करने पर यह भी पाया गया कि दोनों प्रपत्रों पर कोई दिनांक अंकित नहीं है। दिनांक के अभाव में यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि उक्त मौका रिपोर्ट किस तिथि को तैयार किए गए। प्रकरण में गवाहों के बयान कब, कहां और किसके समक्ष लिए गए, इसका उल्लेख किसी भी बयान फार्म में नहीं किया गया और जारी आपत्ति नोटिस की पुश्त पर भी सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में केवल गवाहों के हस्ताक्षर अंकित है, उनकी वल्दियती अंकित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। ग्राम पंचायत ने पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी करते हुये अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एंव उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत खौड़ द्वारा मिसल संख्या 11/04–05, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 04.12.2009 एवं उसकी पालना जारी पट्टा संख्या 217 दिनांक 17.12.2009 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/03/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

Sd/-
(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)